

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कानसर
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

भागाराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 एलआरएक्ट. नम्बर 69/11/10/21 सन-2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख
11.10.2021	<p>प्रशासन गांव के अभियान कैम्प कोर्ट कानसर में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थी / अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 660/648 की कुल 8.7510 हैक् में से 1/5 हिस्सा सायल का एवं 1/5 हिस्सा सायल संख्या 2 के नाम दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम हरिसिंह दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थी का सही नाम मोबाराम है।</p> <p>प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात , आम आदमी का आधार कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थीगण के पिता का नाम मोबाराम दर्ज है प्रार्थीगण अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में मोबाराम दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।</p> <p>तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट / मजमे आम की जानकारी के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम मोबाराम है नाम संशोधन की अभिषा की गई है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम हरिसिंह दर्ज है एवं प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेजात मे प्रार्थीगण के पिता का नाम मोबाराम दर्ज है</p> <p>प्रार्थी के नाम के सम्बन्ध में कैम्प के दौरान संरपच के द्वारा प्रार्थी के नाम को तस्दीक किया जाकर प्रमाण पत्र पेश किया गया।</p> <p>प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपंच ग्राम पंचायत किकराली की तस्दीक के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 660/648 की कुल 8.7510 हैक् भूमि में सयुक्ता तोरं प्रार्थीगण के पिता का नाम हरिसिंह दर्ज है के स्थान पर मोबाराम उर्फ हरिसिंह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>नम्बर व तारीख</p> <p>मोबाराम</p> <p>R. S. S. S.</p> <p>हरिसिंह</p> <p>प्रशासन</p>

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्टकानसर.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2021/77
तहसीलदार राजस्व नोहर ।
दिनांक :- 17.10.2021

विषय :- प्रकरण अनवानी भागाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. भागाराम पुत्र मोबाराम जाति बांवरी निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. धर्मपाल पुत्र मोबाराम जाति बांवरी निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीगण


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 660/648 की कुल 8.7510 हैक् भूमि में सयुक्ता तोरं प्रार्थीगण के पिता का नाम हरिसिंह दर्ज है के स्थान पर मोबाराम उर्फ हरिसिंह संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट ...कानसर..